संलग्नक - 10

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

रोशन लाल
सचिव।

सेवा में,

समस्त प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थनि चुनावालय,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक–534 /रा0नि0आ0–ले0–861/2008 दिनांकः 04/04/2019

विषय– **नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2018 को सुचारू रूप से कराने पर कार्यरत वाहन चालकों को मानदेय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राजकीय वाहन चालक महासंघ, उत्तराखण्ड का पत्र संख्या–119/रा0वा0चा0 महासंघ दिनांक 25.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय वाहन चालको को भी तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भॉति रू0 5,000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) मानदेय के भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2018 मे सुचारू रूप से कार्य करने वाले राजकीय वाहन चालकों को तृतीय श्रेणी के समान रू0 5,000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) का मानदेय अनुमन्य किये जाने का मुझे निदेश हुआ है। जिस वाहन चालक को पंचास्थानि चुनावालय से मानदेय भुगतान कियां जा चुका है उन्हें सम्बन्धित विभाग द्वारा मानदेय का भुगतान न किया जाय।

भवदीय,

(रोशन लाल)
सचिव।

संख्या–534 (1)/रा0नि0आ0/लेखा/861/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– राजकीय वाहन चालक महासंघ, उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या–119 दिनांक 25.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रोशन लाल)
सचिव